

الدرس الثاني - هندي

من أحكام الأطعمة

पाठ - 2

खाने पीने के अहकाम

खाने की मुबाह व जायज़ चीज़ें दो तरह की हैं। एक हैवानात, दूसरी नबातात (बनस्पति)। इनमें से वे चीज़ें हलाल हैं जिनका कोई नुकसान नहीं है। हैवानात दो तरह के हैं एक जो ज़मीन के ऊपर खुशकी में रहते हैं और दूसरे वे जो पानी में रहते हैं। जो जानवर समुद्र में या कहीं भी पानी के अन्दर रहते हैं वह पूरे तौर पर हलाल है। इन पानी के जानवरों के लिए ज़बह करने की भी शर्त नहीं है क्योंकि पानी के जानवरों में से मुर्दार भी जायज़ हैं। खुशकी में रहने वाले जानवर आम तौर पर मुबाह हैं सिवाए उनके जिन्हें इस्लाम ने हराम ठहरा दिया है और वे यह हैं:

1. पालतू गधे, और सुअर 2. वे जानवर जिनके खाने के नोकीले दांत हों जिनसे वह शिकार को फाड़ खाता है इससे गोह मुस्तसना है। परिन्दे आम तौर पर मुबाह हैं सिवाए उनके जिनकी हुर्मत को स्पष्ट कर दिया गया है जैसे:

क. वे परिन्दे जो पंजों से शिकार करते हैं। इन्हे अबास रजिओ की रिवायत है कि अल्लाह के रसूل سल्लल्लाहू अलैहि वसल्लम ने हर नोकीले दांत वाले दरिन्दे और पंजे से शिकार करने वाले परिन्दों को खाने से मना किया है। (सही मुस्लिम 1934)

ख. वे परिन्दे जो मुर्दार खाते हैं जैसे गिद्ध, और कब्बा, क्योंकि ये दोनों खबीस चीज़ों को अपनी खुराक बनाते हैं।

वे जानवर भी हराम हैं जिनसे घिन महसूस होती है जैसे सांप, चूहा और कीड़े मकोड़े। इनके अलावा जो भी जानवर और परिन्दे हैं वे हलाल हैं जैसे घोड़ा, चौपाए, मुर्गा, जंगली गधा, हिरन, शुतुर मुर्ग और खरगोश आदि।

इससे गन्दगी खाने वाली गाय मुस्तसना है क्योंकि इस की खुराक का ज्यादा तर हिस्सा नापाकी है। इसे खाना हराम है हां अलबत्ता यदि उसे तीन दिनों तक बांध कर रखा जाए और पाक साफ़ चीज़ खाने को दी जाए तो उसे खाना जायज़ है।

नमाज़ के लिए मस्जिद जाने से पहले बदबूदार चीज़ें जैसे प्याज़ लहसुन आदि को खाना मकरूह है। जो व्यक्ति हराम खाने के लिए मजबूर हो जाए जैसे यदि वह उस हराम चीज़ को नहीं खाता है तो उसे जान जाने का डर हो तो केवल जान बचाने की हद तक उसके लिए उस हराम चीज़ को खाना जायज़ है लेकिन ज़हर इससे मुस्तसना है अर्थात् किसी भी हाल में ज़हर खाना जायज़ नहीं है।

किसी का गुज़र बाग के फलों के पास से हो, वे फल चाहे पेड़ पर लगे हुए हों या गिरे हुए हों और उसके आस पास दीवार न हो और न कोई चौकीदार या हिफाज़त के लिए कोई इन्सान हो तो उस गुज़रने वाले के लिए उस फल में से खाना जायज़ है लेकिन अपने साथ उन फलों को ले जाना जायज़ नहीं है। उसके लिए पेड़ पर चढ़ना या कोई पत्थर आदि फेंक कर फल को तोड़ना या इकट्ठा किए हुए फलों में से खाना जायज़ नहीं है, हां अलबत्ता सख्त ज़रूरत हो तो खा सकता है।